

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला-भिण्ड
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 07/2016

संस्थापन दिनांक 11.03.2016

फाईलिंग नंबर-230303003052016

1. मंजीतसिंह आयु 52 साल
 2. जगजीतसिंह आयु 45 साल
 3. सरजीतसिंह आयु 40 साल
 4. हरजीतसिंह आयु 35 साल
 5. दलजीतसिंह आयु 28 साल
- पुत्रगण प्रीतमसिंह जाति सिख
निवासी वार्ड नंबर-14 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

वि रू द्ध

1. श्रीमती सुमन सोनी आयु 40 साल
पत्नी अखिलेश सोनी
2. अखिलेश पुत्र मन्टोलाल आयु 45 साल
जाति सोनी निवासी मानिक चौक बड़ा बाजार
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, गोहद
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-35/15 में पारित
आदेश दिनांक 25.01.2016 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा श्री एस0एस0 श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 24 जून-2016 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील श्री पंकज शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक-35/15 में दि. 25.01.16 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 निरस्त किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर पेश की है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी/अपीलार्थीगण एवं वियंतसिंह व उनके अन्य परिजनों के मध्य पूर्व में अपर जिला जज गोहद के न्यायालय में सिविल वाद

क्रमांक-35ए/92 चला था जिसमें लोक अदालत में दिनांक 20.09.98 को उनके मध्य आपस में समझौता हुआ था और समझौते के आधार पर उनके मध्य मकानियत के संबंध में डिक्री पारित हुई थी जिसके साथ नजरीय नक्शा भी समझौते का अंग बनाया गया था और समझौते के मुताबिक नजरीय नक्शे में काले रंग का दर्शित हिस्सा वियंतसिंह का निर्धारित हुआ था।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि वार्ड क्रमांक-14 गोहद में स्थित वादी/अपीलार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पूर्व पश्चिम लंबाई 24 फीट एवं उत्तर दक्षिण चौड़ाई 01 फीट 03 इंच होकर पैतृक संपत्ति है जो उन्हें उनके पिता प्रीतमसिंह की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई थी तथा अन्य जगह उनके आपसी बंटवारे में मिली थी जिस पर वादीगण के भवन निर्मित होकर वादीगण उसमें निवास कर रहे हैं। उक्त बंटवारे में वियंतसिंह पुत्र दिलीपसिंह को पूर्व से पश्चिम दिशा में 52 फीट 08 इंच लंबी एवं उत्तर से दक्षिण दिशा में 13 फीट 09 इंच चौड़ी मुन्ना टैन्ट वाले की दीवाल से सटी भूमि दी गई थी। यह बंटवारा न्यायालय अपर जिला जज गोहद के न्यायालय के प्र०क्र०-35ए/1992 में हुए राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 20.09.98 को हुआ था। वादग्रस्त जगह वियंतसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की नहीं थी। न ही उसे उक्त बंटवारे में दी गई थी। बल्कि वादग्रस्त जगह वादीगण के पिता प्रीतमसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की थी जो वादीगण को उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुई जिसके वादी/अपीलार्थीगण एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं जिसमें पूजा घर बना हुआ है जिसका उपयोग वादीगण करते आ रहे हैं।

4. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-1 ने वियंत सिंह को बंटवारे में प्राप्त 52 फीट 08 इंच गुणा 13 फीट 09 इंच भूमि दिनांक 28.07.14 को वियंतसिंह से विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर ली है और उक्त विक्रय पत्र में उक्त क्यशुदा भूमि के पीछे जो भाग निर्मित था, उसे गलत रूप से खाली भूमि दर्शाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त जगह न तो प्रतिवादी ने क्रय की है न ही वियंतसिंह ने बेची है। वियंतसिंह से विक्रय पत्र निष्पादित कराने के बाद प्रतिवादीगण ने क्यशुदा भूमि में पुराना निर्माण तोड़कर नवीन निर्माण करने के आशय से पिलर बनाना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त जगह पर निर्माण तोड़ने का प्रयास दिनांक 31.12.14 को किया जिसे वादीगण द्वारा रोकने पर प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि वह वादीगण की जमीन छोड़कर निर्माण करेंगे। प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.02.15 को वादग्रस्त स्थल पर बने निर्माण को तोड़कर क्यशुदा भाग से 05 इंच अधिक जगह दबाकर दीवाल बनाकर दीवाल अधूरी छोड़ दी है जिससे वादीगण को 2000 रुपये की क्षति हुई है। दिनांक 04.04.15 को वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण से कहा कि हमारी पांच इंच जगह दबाकर दीवाल क्यों बनाई तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि अभी तो पांच इंच दबाई है आगे 24 फीट 10 इंच जो जगह बची है उसे भी दबाकर पूरी दीवाल बनायेंगे और वादग्रस्त जगह पर जबरन कब्जा करछत भी डालेंगे जो दिखे सो करो। यदि प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त जगह पर कब्जा कर निर्माण किया गया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि पर न तो कोई नवीन निर्माण किये जाने न ही उनके कब्जा व आधिपत्य में व्यवधार उत्पन्न किये जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की है।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण ने जवाब पेश करते हुए विरोध करते हुए व्यक्त किया कि विवादित भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा वियंतसिंह से क्यशुदा भूमि का भाग है। वादग्रस्त स्थल पर कभी भी कोई पूजा ग्रह नहीं था। न ही वादीगण का कब्जा रहा है। उक्त भूमि वियंतसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिसका विक्रय पत्र

वियंतसिंह ने प्रतिवादीगण के पक्ष में विधिवत रूप से किया है। प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा वादग्रस्त स्थल के अलावा अन्य जगह क्रय की गई थी जिस पर कुछ पुराना जीर्ण शीर्ण निर्माण था जिसे हटाकर संपूर्ण क्यशुदा भूमि को समतल कर नवीन निर्माण किया जा रहा है। दिनांक 31.12.14, 20.02.15 एवं 04.04.15 या कभी भी प्रतिवादीगण की वादीगण से वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। वादीगण को दो हजार रुपये का कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य से अवैध रूपसे रोके जाने के संबंध में उक्त आवेदन पेश किया है जो प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है, सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में नहीं है, वादीगण/अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः आवेदनपत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

6. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। जो विक्रय पत्र प्रत्यर्थी ने वियंतसिंह से दिनांक 28.07.14 को कराया है उसके अधिक भाग पर प्रत्यर्थीगण का कोई हक नहीं है। विवादित स्थल को न तो वियंतसिंह ने बेचा है न ही प्रत्यर्थीगण द्वारा क्रय किया गया है तथा वह विवादित स्थल विक्रय का भाग नहीं माना जावेगा। राजीनामा व नक्शे की प्रतिलिपि 35/52 इ०दी० प्रस्तुत की गई है उसमें यदि वियंतसिंह के भाग में तिकोना स्थान यदि नहीं दर्शाया गया है तो इसमें यह सिद्ध होता है कि तिकोना भाग जो विवादित है, वियंतसिंह को नहीं दिया गया है। इसीलिये उसे वियंतसिंह द्वारा विक्रय नहीं किया गया है। जब तिकोना भाग वियंतसिंह को नहीं दिया गया है तब वह भाग प्रीतमसिंह पिता अपीलार्थी का माना जावेगा जिस बाबत अपीलार्थी ने शपथ पत्र दिया है। तथा प्रत्यर्थीगण को यह सिद्ध करना है कि उक्त भाग उनके द्वारा क्रय किया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये उक्त भाग अपीलार्थी के पिता का है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। प्रत्यर्थीगण ने यह अभिवचन नहीं किया है कि पूजाग्रह नहीं था। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त विवादित स्थल क्रय नहीं किया गया है तब उसे किसी प्रकार से चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. “क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थीगण/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ?”

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया, विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया। वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में विविध सिविल अपील में लिये गये तर्कों के अनुरूप ही तर्क करते हुए यह कहा है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण ने वियंतसिंह से दिनांक 28.07.14 को वयनामा कराया है। उन्हें क्यशुदा भाग से अधिक भाग पर किसी भी तरह का कोई भी हक अधिकार प्राप्त नहीं है और विवादित स्थल जो वाद पत्र के साथ संलग्न नजरीय नक्शा में लाल रेखा से दर्शाया है वह तिकोना भाग वियंतसिंह द्वारा विक्रय नहीं किया गया है और वियंतसिंह को उसके विक्रय करने का कोई अधिकार भी नहीं है। क्योंकि वह वादी/अपीलार्थीगण का उपासना स्थल है और उनका पूजा घर

बना हुआ है। पूर्व में चले वाद में वियंतसिंह को जो हिस्सा प्राप्त हुआ था वह मुन्ना टैन्ट वाले की दीवाल से सटकर पूर्व से पश्चिम 52 फीट, 08 इंच लंबाई में और उत्तर से दक्षिण 13 फीट 9 इंच चौड़ाई में मिला था। उसे ही वियंतसिंह द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को विक्रय किया गया है। किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को दृष्टिआँझल किया है और अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र को निरस्त करने में गंभीर विधिक भूल की है। प्रत्यर्थीगण क्यशुदा भूमि के पीछे लगे भाग को गलत रूप से खाली भूमि दर्शाकर उसमें निर्माण कर रहे हैं जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। इसलिये प्रस्तुत सिविल अपील स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में और प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्माण को निषेधित करने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे।

8. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए यह बताया है कि वादग्रस्त जगह में वादी/अपीलार्थीगण का कोई पूजाघर नहीं है, न ही पहले था, न ही वह उसका उपयोग उपभोग करते हैं, न ही वादी/अपीलार्थीगण का कोई कब्जा है। उनके द्वारा क्य की गई भूमि से वादी/अपीलार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है और वह वियंतसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की थी। वियंतसिंह ने विधिवत विक्रय पत्र द्वारा उन्हें विक्रय की है तथा वियंतसिंह का स्वामित्व स्वयं वादीगण ने स्वीकार किया है। जिस भाग को वादी/अपीलार्थीगण अपना बता रहे हैं वह क्यशुदा भाग का अंश है जिस पर उन्हें निर्माण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जिस जगह का वयनामा कराया गया था वह काफी पुराना जीर्ण शीर्ण निर्माण था। जिसे हटाकर संपूर्ण भूमि को समतल करते हुए नवीन निर्माण कराया जा रहा है। इससे वादी/अपीलार्थीगण को न तो क्षति हुई न ही होने की संभावना है और नजरीय नक्शे में जो तिकौना विवादित स्थल बताया गया है ऐसा कोई तिकौना स्थल वास्तव में रहा ही नहीं है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आई0ए0नंबर-1 को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है इसलिये अपील में कोई विधिक बल नहीं है और अपील सारहीन होने से सव्यय निरस्त की जावे।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। उभय पक्षकारों के आधारों एवं अभिवचनों तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा मूल वाद के साथ प्रस्तुत किया गया आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा-151 सी0पी0सी0 का आई0ए0नंबर-1 का आवेदन पत्र आलोच्य आदेश दिनांक 25.01.16 अनुसार वादी/अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला न होने, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति न होने के आधार पर निरस्त किया था जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मूलतः वाद पत्र के साथ संलग्न नजरीय नक्शा में लाल स्याही से अंकित अ,ब, स से चिन्हित तिकौना भाग दर्शित न होने को आधार बनाया है।

10. मूल अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-1 श्रीमती सुमन के द्वारा पूर्व स्वामी वियंतसिंह से दिनांक 28.07.14 को जो पंजीकृत विक्रय पत्र कराया गया है उसमें विक्रीत किये गये भूखण्ड एवं भूमि का जो ब्यौरा दिया गया है उसमें कस्बा गोहद जो कि नगर पालिका परिषद गोहद के अंतर्गत आने वाले भवन क्रमांक-36 का भाग है। विक्रीत भूखण्ड 13.9 गुणित 52.8 = 734 वर्गफीट अर्थात् 68.20 वर्गमीटर विक्रय किया गया है जिसमें दुकान एवं खुला भूखण्ड अंकित है और यह भी स्पष्ट विवरण दिया गया है कि 278 वर्गफीट में व्यावसायिक दुकानें तथा 455.92 वर्गफीट में आवासीय भूखण्ड है और उसकी परिसीमा भी उसमें अंकित की गई है जिसके अनुसार पूर्व में 13.9 फीट चौड़ाई है। 19 फीट बाजार के आम रास्ते से लगी है। पश्चिम में भी 13.9 फीट की चौड़ाई है। जो रंजीतसिंह नामक व्यक्ति के मकान से लगी हुई है।

उत्तर में जो लंबाई 52.8 फीट है वह किसी वाजपेयी के मकान से लगी हुई है और दक्षिण में 52.8 फीट लंबाई मुन्ना खॉ टैन्ट वाले से लगी हुई दर्शाई है। वादी/अपीलार्थीगण का यह भी कहना रहा है कि वियंतसिंह को जो हिस्सा मिला था वह मुन्ना खॉ टैन्ट वाले की दीवाल से दक्षिण से उत्तर की ओर है। वयनामा मुताबिक जो भूखण्ड वियंतसिंह द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 को बेचा गया वह चौकोर है। उसका किसी भी दिशा की तरफ कोई तिकौना होने का उल्लेख नहीं है।

112. जैसा कि वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न नजरीय नक्शे में पश्चिम की ओर अ, ब और उत्तर की ओर ब, स के रूप में तिकौना बताया है। मुन्नाखॉ टैन्ट वाले की तरफ प्लॉट स्पष्टतः बताया गया है। वियंतसिंह पूर्व स्वामी होना और उसके द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक-1 को भूखण्ड बेचा जाना इस तरह से निर्विवादित तथ्य है। यदि इस बिन्दु पर विचार किया जाये तो पूर्व में जो समझौता डिकी के माध्यम से वियंतसिंह को हिस्सा में प्राप्त हुआ उसका असल नक्शा मूल अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। अपील स्तर पर तर्कों के समय मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। फोटोकॉपी अवश्य लगी हुई है। फोटोकॉपी को देखने पर उसमें वियंतसिंह का जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वह 52.8 फीट लंबाई में और चौड़ाई में 13.9 फीट जो कि सदर बाजार के आम रास्ते से लगा हुआ है, वह चौकोर प्लॉट उसमें कहीं भी तिकौना नहीं है। नजरीय नक्शे में जो तिकौना दर्शाकर वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद है वह तिकौना वियंतसिंह, भगवानसिंह और प्रकाश कौर के पूर्व की ओर फोटोकॉपी में दिखाये गये हिस्से से पश्चिम की ओर अलग होना प्रकट हो रहा है। अर्थात् तिकौना मार्ग का विकीत भूखण्ड से कोई सरोकार होना प्रथम दृष्ट्या प्रकट नहीं हो रहा है।

12. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1 श्रीमती सुमन सोनी के संदर्भ में यह बिन्दु भी निर्विवादित है कि वह कयशुदा भाग पर निर्माण करने को स्वतंत्र है। उसका कयशुदा भाग में पश्चिम और उत्तर की ओर कोई तिकौना भाग प्रकट नहीं है जो कि वादी/अपीलार्थीगण के पूजा ग्रह के रूप में उपयोग में आता हो। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर जो सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरीय नक्शा में दर्शित विवादित भूमि का अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। मूल दस्तावेज जो कि साक्ष्य के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और प्रत्येक बिन्दु पर साक्ष्य पेश की जावेगी, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को अपना अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त होगा उसमें यह स्थिति परिवर्तित होती है तो गुण-दोषों पर विवादित बिन्दु का निराकरण करने हेतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सक्षम है। वर्तमान स्थिति में जिस आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने की प्रार्थना वादी/अपीलार्थीगण की ओर से की गई है उस हेतु प्रथम दृष्ट्या सुदृढ़ मामला होना परिलक्षित नहीं होता है और कयशुदा भाग पर क्रेता को निर्माण करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त होता है। इस दृष्टि से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी वादी/अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रकट नहीं होते हैं। जो कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित करने का आधार स्तंभ है। तथा यह सुस्थापित विधि है कि पक्षकारों के अधिकार और दायित्व वाद प्रस्तुति दिनांक को निर्धारित होते हैं। जिसे विचार में लेते हुए प्रस्तुत की गई विविध सिविल अपील के आधार सुदृढ़ होना प्रकट नहीं होते हैं। इसलिये कयशुदा भू-भाग पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण को निर्माण करने से निश्चित रूप से नहीं रोका जा सकता है। जबकि निर्विवादित रूप से निर्माण कार्य प्रगति पर बताया गया है। यदि कयशुदा भू-भाग से भिन्न या अतिरिक्त भू-भाग पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का निर्माण गुण-दोषों पर पाया जाता है तो उसका जोखिम प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पर ही रहेगा क्योंकि उसे न्यायालयीन कार्यवाही द्वारा हटाया जा सकता है।

13. ऐसी स्थिति में प्रस्तुत की गई विविध सिविल अपील सद्भावी होकर स्वीकार योग्य नहीं

पाई जाती है और चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने के आधार न होने से उसे वाद विचार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश यथावत रखते हुए अपील को निरस्त किया जाता है।

13. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना अपील व्यय वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

दिनांक- 24.06.2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड